राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2600/2025

लालचन्द **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, सचिव, नगर निगम जयपुर हैरिटेज बडी चौपड, जयपुर।
2. उपायुक्त (कार्मिक) नगर निगम जयपुर बडी चौपड जयपुर।
3. उपायुक्त हवामहल आमेर जोन/किशनपोल जोन नगर निगम हैरिटेज जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.04.2025
आदेश की दिनांक : 26.05.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री इलेश जिन्दल, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कार्यवाहक जमादार के पद पर वार्ड नं. 74 किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.03.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सफाई कर्मचारी वार्ड नं. 5 हवामहल आमेर जोन किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने नियमानुसार एवं ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निष्टा से कार्य का निर्वहन कर रहा हैं। आदेश दिनांक 16.08.2013 द्वारा अपीलार्थी को कार्यवाहक जमादार के पद पर पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उसे कार्यवाहक जमादार से सफाई कर्मचारी के पद पर लगा दिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा

अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही आलोच्य आदेश के द्वारा वार्ड नं0 5 मे स्थानान्तरित कर दिया गया है जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.03.2025 (अनुलग्नक–4) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा नगर निगम हैरिटेज द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.03.2024 को चुनौती दी गई है। जिसमें सफाई कार्य को सुचारू रूप से संपादित किये जाने के दृष्टिगत अपीलार्थी को वार्ड नं. 74 से वार्ड नं0 05 में स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उसे कार्यवाहक जमादार से सफाई कर्मचारी के पद पर लगा दिया गया है जबकि अपीलार्थी पूर्ण निष्टा एवं ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है।

हम यह पाते है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को जमादार के पद पर नियमित पदोन्नति किये जाने के संबंध में कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है मात्र कार्यव्यवस्थार्थ जमादार के पद पर लगाया गया था और आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का वार्ड परिवर्तन किया जाकर मूल पद पर पदस्थापित किया गया है। किसी एक नगर निकाय से दूसरी नगर निकाय में अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है। अतः इसे स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष